

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-394 / 2023

श्रीमती सपना शर्मा (कर्मचारी आई.डी.- आरजेजेपी200517029592)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार,
शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023

आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित व्यास, अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ अध्यापक के पद पर रा.उ.मा.वि. हरनाथपुरा, झोटवाड़ा, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन रा.उ. मा.वि. सम्मनपुर, रामगढ, अलवर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी का पुत्र मानसिक रूप से कमजोर है। अपीलार्थीया के पुत्र की विकलांगता के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। अपीलार्थीया के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को आलोच्य आदेश से 130 किमी. दूर पदस्थापित किया गया है। जिससे अपीलार्थी के पुत्र की देखभाल में बाधा उत्पन्न होगी।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीया का पुत्र मानसिक रूप से दिव्यांग की श्रेणी में आता है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थानान्तरण में उसके पुत्र की देखरेख में बाधा उत्पन्न होना प्रथम दृष्टया माने जाने योग्य है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण न किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावे जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)